AND THE MINISTRY OF WATER RESOURCES (SHRI P.K. THUNGON): (a) the magnitude of bank erosion by Brahmaputra river at Dibrugarh has been estimated at an average of 124 hectares every year during the last three years.

(b) The Union Government has been releasing loans from the Central budget for flood management in the Brahmaputra Valley every year. The amount released in crores of rupees are 20.00, 25.00 and 25.00 for 1991-92, 1992-93 and 1993-94 respectively. Funds, however, were not earmarked by the Union Government for Flood protection schemes in Dibrugarh town.

(c) The amount spent by the Government of Assam from the State Plan funds for flood protection works in Dibrugarh area in lakhs of rupees are 4.23, 4.54 and 5.49 for 1991-92, 1992-93 and 1993-94 respectively.

(d) Steps taken for strengthening the existing banks of Dibrugarh city consisted of executing the following schemes:

(i) Strengthening the land spur at Mothola between 1991 to 1993 at an estimated cost of Rs. 57.32 lakh.

(ii) Construction of an embankment two kilometre in length between 1989 to 1992 at an estimated cost of Rs. 37.78 lakh.

(e) Construction for the protection of Nagaghuli-Maijan area could not be taken up for want of funds.

सिंचाई के लिए राज-सहायता

4383. **श्री चिमनभाई हरिभाई शुक्ल:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय सरकार सिंचाई के लिए राज-सहायता जारी रखने में असमर्थ है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या जल की कम कीमत और खरीद की कम लागत से जल-प्रबंधन या संसाधनों की उपलब्धता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई समिति गठित की है;

(च) यदि हां, तो उक्त समिति ने क्या सिफारिशें की हैं; और

(छ) सरकार ने इस संबंध में क्या कार्रवाई की है?

शहरी विकास मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) से (घ) सिंचाई तथा उससे संबंधित प्रभारों के माध्यम से वसूल किये गये राजस्व और सिंचाई परियोजनाओं के प्रचालन एवं अनुरक्षण की लागत में अंतर है। यह अनुमान लगाया गया है कि सिंचाई क्षेत्र के अंतर्गत ब्याज प्रभारों को बिना ध्यान में रखे सातवीं योजना अवधि (1985-90) के दौरान संचयी वित्तीय क्षति 3676.83 करोड़ रुपए है। इससे सिंचाई परियोजनाओं के उचित प्रचालन तथा अनुरक्षण के वास्ते उपलब्ध संसाधनों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

(ङ) और (च) जी हां, समिति के सुझावों में ये शामिल हैं; जलदरों की उपयोगकर्ता प्रभार मानना, जल प्रभारों का उद्देश्य, अंततोगत्वा, लागत वसूल करना, जलदरों के प्रावधान को सेवा की कोटी में सुधार से जोड़ना, जलदरों का फेजों में संशोधन तथा क्रियान्वयन, कृषक समूह प्रबंध प्रणाली का समेकन, जल उपयोग तथा उत्पादकता में प्रणाली को उच्चतर स्तर की कुशलता तक स्तरोन्नत करना, आवधिक पुनरीक्षा के वास्ते प्रचालन एवं अनुरक्षण तथा प्रक्रिया के वास्ते मानदंड तैयार करने के लिए राज्य स्तर पर विशेषज्ञ दल गठित करना, जल की लागत, जल दरों में संशोधन करने तथा न्यूनतम वित्तीय प्रतिलाभ मानदंड लागू करने के संबंध में नीति की पुनरीक्षा करने हेतु राज्य स्तर पर स्वायत बोर्डों की स्थापना करना।

(छ) चूंकि सिंचाई एक राज्य विषय है इसलिए जलदरों पर निर्णय राज्य सरकारों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के प्रशासनों से परामर्श करके ही लिया जा सकता है। समिति की रिपोर्ट देखने के लिए तथा समिति द्वारा की गयी विभिन्न सिफारिशों पर विचारों की मोटे रूप से सहमति हो इसके लिए योजना आयोग ने सचिव, योजना आयोग की अध्यक्षता में अधिकारियों का एक दल गठित किया है।

मध्य प्रदेश जल परियोजना

4384. **श्री दिलीप सिंह जूदेव:** क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मध्य प्रदेश में जल परियोजना की क्षमता क्या है;

(ख) मध्य प्रदेश के किन-किन क्षेत्रों में इस परियोजना के माध्यम से जल उपलब्ध कराया जायेगा और जल कब तक उपलब्ध कराया जायेगा; और

(ग) उस कृषि भूमि का क्षेत्रफल कितना है जिसे इस परियोजना के माध्यम से सोचा ज एगा?

शहरी विकास मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. के. थुंगन): (क) से (ग) मध्य प्रदेश की 23 वृहत और 32 मझौली सिंचाई परियोजनाओं को 8वीं योजना में आगे लाया गया है। उनका ब्यौरा